न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम०,
कक्ष सं०–44, शाहजहांपुर।
उपस्थिति– कीर्ति सिंह.....उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा।
J.O. Code– UP2620
मूलवाद सं०–466/2022
CNR No. UPSH050007842022

1. श्रीमती उमा मिश्रा पत्नी सर्वेश कुमार मिश्र आयु करीब 62 वर्ष
2. अमित कुमार मिश्र आयु करीब 35 वर्ष
3. मयंक मिश्र आयु करीब 30 वर्ष — पुत्रगण सर्वेश कुमार मिश्र
4. विवेक मिश्र आयु करीब 25 वर्ष

सर्वनिवासीगण–ग्राम जरीयनपुर, थाना–मिर्जापुर, परगना व तहसील–कलान, जनपद– शाहजहाँपुर। **.....वादीगण।**

बनाम

1. ग्राम सभा ग्राम जरीयनपुर थाना–मिर्जापुर, परगना व तहसील–कलान, जनपद– शाहजहाँपुर द्वारा ग्राम प्रधान
2. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला कलक्टर महोदय, शाहजहाँपुर

..... प्रतिवादीगण।

निर्णय

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध उदघोषणात्मक आज्ञप्ति हेतु योजित किया गया है।

2. वादपत्र में अंकित अभिकथनानुसार वादीगण का कथन संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण के पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र पुत्र संतसेवक दिनांक 19.02.2002 को घर से यह कहकर गये कि अभी आते है। काफी देर हो जाने के बाद वादीगण ने अपने परिवारीजनों से पूछताछ करके काफी तलाश किया, लेकिन वादीगण के पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का कोई पता नहीं चला और वादीगण ने अपने पति/पिता को काफी दिनों तक जहाँ जहाँ उनका उठना बैठना तथा आना जाना रहता था सब जगह तलाश किया, लेकिन वादीगण के पति/पिता का कोई पता नहीं चला, तब वादिनी संख्या 1 ने दिनाक 02.03.2002 को गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर में दर्ज करायी। थाना हाजा की पुलिस ने वादीगण के पति/पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके एक प्रति थाना हाजा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कर दी थी, लेकिन वादीगण के पति/पिता की कोई जानकारी या सूचना वादीगण को नहीं मिली। वादीगण ने अपने हकीकी करीबी रिस्तेदारियों में भी काफी तलाश किया, लेकिन वादीगण के पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का कोई पता नहीं चला, तब वादीगण ने दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में गुमशुदा विज्ञापन के पृष्ठ में दिनांक 20.03.2002 को पेज सं. 6 पर इस्तहार प्रकाशित कराया और वादीगण ने अपने पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का सम्पूर्ण विवरण दर्शित कराया, लेकिन कोई जानकारी सर्वेश कुमार मिश्र की नहीं चली और न ही किसी व्यक्ति ने किसी तरह की सूचना दी। वादीगण ने अपने पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र पुत्र संतसेवक के दीर्घकालीन लापता होने

Digitally signed by KIRTI SINGH
Date: 2025.10.09 11:34:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के आधार पर अपने पुत्र संतसेवक के नाम कृषि काश्त व मकान पुस्तैनी के बावत विरासत का प्रार्थना पत्र तहसील स्तर पर दिया, लेकिन तहसील के कर्मचारियारें द्वारा वादीगण को यह अवगत कराया गया कि आपके पुत्र संतसेवक संर्वेश कुमार मिश्र का मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से निर्गत कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे, तभी आप वादीगण के नाम सर्वेश कुमार मिश्र पुत्र संतसेवक के नाम की सम्पत्ति की विरासत बतौर पुत्र/पत्नी सरकारी अभिलेखो में इन्द्राज हो पायेंगे। वादीगण ने अपने पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु अपनी ग्राम सभा जरीयनपुर के प्रधान तथा सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिये, लेकिन उपरोक्त सभी लोगों ने यह जुवानी कहकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दिया कि आपके पति/पिता की मृत्यु नहीं हुई है वह लापता है, इसलिये हम कर्मचारीगण लापता व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते है। आप वादीगण अपने पति/पिता लापता का मृत्यु प्रमाण पत्र सिविल न्यायालय से मृत्यु होने का आदेश उदघोषित करा लो लिहाजा वाद नालिश की आवश्क्ता हुई। वादीगण ने विपक्षीगण को दिनांक 28.06.2022 को कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता व धारा 106 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत मियादी दो माह (60 दिन) का इस आशय का दिया कि आप विपक्षीगण नोटिसदाता वादीगण के पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का मृत्यु प्रमाण पत्र दीर्घकालीन लापता होने के आधार पर वादीगण को नियत अवधि में डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द कर दें ताकि वादीगण अपने पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र के नाम की सम्पत्ति की विरासत अपने नाम दर्ज करा सकें, लेकिन विपक्षीगण पर नोटिस की तामील हो जाने के बाबजूद भी विपक्षीगण ने न तो वादीगण के पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया और न ही नोटिस का कोई जबाव वादीगण को प्रेषित किया। वाद का कारण विपक्षीगण द्वारा जुवानी रुप से कहने पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से इन्कार करना एवं कानूनी नोटिस देने के उपरान्त समय अवधि व्यतीत हो जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र वादीगण के पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का निर्गत न करना और वाद कानूनी नोटिस दिनांक 28.06.2022 से वाद का कारण लगातार बना हुआ है। अतः वादीगण द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का उदघोषणात्मक आदेश व डिक्री कि वादीगण के पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का दीर्घकालीन लापता होने के आधार पर सिविल मृतक घोषित किया जावे एवं वादीगण मृतक घोषित होने पर अपने पति/पिता के विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिस होंगे के बाबत उदघोषणात्मक आज्ञप्ति पारित किया जाने की याचना की गयी है।

3. प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा समन प्रेषित किये गये। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा उपस्थित होकर प्रतिवाद–पत्र प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी सं. 1 की लगातार अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात दिनांक 18.07.2025 को मूलवाद प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसारित किये जाने हेतु आदेशित किया गया।

4. प्रतिवादी सं. 2 द्वारा उपरोक्त वाद में उत्तरपत्र कागज सं. 29क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादीगण ने वादपत्र में असत्य एवं निराधार कथन किये हैं। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है वाद इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण पर दायित्व है कि वह वादपत्र में अंकित कथनों को साबित करें। वादीगण द्वारा वादपत्र में किसी कठिनाई का उल्लेख नहीं किया गया है। वादीगण ने अनुतोष अ में दो अनुतोष चाहे हैं, जबकि न्यायशुल्क एक का ही अदा किया

है। वादपत्र का सत्यापन नहीं किया गया है। वादीगण का वाद प्रतिवादी के परिव्यय सहित निरस्त किये जाने योग्य है।

5. न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2025 को उपरोक्त वाद में पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दओं को विरचित किया गया है–

1. क्या वादीगण वादपत्र में वर्णित अभिकथित तथ्यों के आधार पर श्री सर्वेश कुमार मिश्र पुत्र संतसेवक निवासी ग्राम व पोस्ट जरीयनपुर थाना मिर्जापुर तहसील कलान जिला शाहजहाँपुर को सिविल मृतक घोषित कराने एवं उनके विधिक उत्तराधिकारी होने की बाबत उद्घोष्णात्मक आज्ञप्ति प्राप्त करने का अधिकारी है?
2. क्या दावा वादीगण अल्प मूल्यांकित है?
3. क्या वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

6. वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में **सूची 8ग** से कागज संख्या 9ग/1 ता 9ग/2 नोटिस दिनाँक 28.06.2022 की प्रति, कागज संख्या 10ग रजिस्ट्री रसीद दिनाँकित 28.06.2022 की मूलप्रति, कागज संख्या 11ग गुमशुदगी तहरीर दिनाँक 02.03.2002 की छायाप्रति, कागज संख्या 12ग गुमशुदगी का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दिनाँक 20.03.2002 के पृष्ठ सं. 6 की छायाप्रति तथा **सूची 16ग** से कागज संख्या 17ग दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत दिनाँक 11.07.2023 की मूल प्रति एवं **सूची 31ग** से कागज संख्या 32ग गुमशुदगी का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दिनाँक 20.03.2002 के पृष्ठ सं. 6 गुमशुदा सर्वेश कुमार पुत्र संतसेवक की मूलप्रति दाखिल किये गये हैं। प्रतिवादी की ओर से कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है।

7. वादीगण द्वारा अपने एकपक्षीय मौखिक साक्ष्य में पी०डब्ल्यू० 1 के रूप में स्वयं वादिनी उमा मिश्रा का शपथपत्र कागज संख्या 21क, व साक्षी पी०डब्ल्यू० 2 के रूप में साक्षी अमित कुमार मिश्रा का शपथ पत्र कागज सं. 22क, पी०डब्ल्यू० 3 के रूप में साक्षी मयंक मिश्रा का शपथ पत्र कागज सं. 23क, पी०डब्ल्यू० 4 के रूप में साक्षी विवेक मिश्रा का शपथ पत्र कागज सं. 24क दाखिल किया। पी०डब्ल्यू० 5 के रूप में साक्षी आदर्श मिश्रा का शपथ पत्र कागज सं. 25क व पी०डब्ल्यू० 6 के रूप में साक्षी रावेन्द्र कुमार का शपथ पत्र कागज सं. 26क दाखिल किया गया है, किन्तु उनको जिरह हेतु उपस्थिति नहीं कराया गया है और न ही वादीगण की ओर से उक्त साक्ष्य शपथ पत्र पर कोई बल प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के अलावा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 की ओर से कोई भी साक्ष्य न देने का पृष्ठांकन किया है एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किसी साक्षी को परिक्षित नहीं कराया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया। इसके आधार पर निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

निष्कर्ष

8. न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं० 2 व 3 का निस्तारण दिनांक 15.01.2025 को किया जा चुका है, जो कि इस निर्णय का अंश होंगे।

9. **<u>निस्तारण वाद बिन्द सं० 1 व 4</u>**

उपरोक्त वाद बिन्दु एक–दसरे से सम्बन्धित है, तदानुसार इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

उपरोक्त वाद बिन्दु सं. 1 इस आश्य पर विरचित किया गया है कि क्या वादीगण वादपत्र में वर्णित अभिकथित तथ्यों के आधार पर श्री सर्वेश कुमार मिश्र पुत्र संतसेवक निवासी ग्राम व पोस्ट जरीयनपुर थाना मिर्जापुर तहसील कलान जिला शाहजहाँपुर को सिविल मृतक घोषित कराने एवं उनके विधिक उत्तराधिकारी होने की बाबत उद्घोष्णात्मक आज्ञप्ति प्राप्त करने का अधिकारी है?

उपरोक्त वाद बिन्दु सं० 4 इस आशय पर विरचित किया गया है कि क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

10. उल्लेखनीय है कि वादिनी द्वारा अपने वादपत्र में यह कथन किया गया है कि वादीगण के पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र पुत्र संतसेवक दिनांक 19.02.2002 को घर से यह कहकर गये कि अभी आते है। काफी देर हो जाने के बाद वादीगण ने अपने परिवारीजनों से पूछताछ करके काफी तलाश किया, लेकिन वादीगण के पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का कोई पता नहीं चला और वादीगण ने अपने पति/पिता को काफी दिनों तक जहाँ जहाँ उनका उठना बैठना तथा आना जाना रहता था सब जगह तलाश किया, लेकिन वादीगण के पति/पिता का कोई पता नहीं चला, तब वादिनी संख्या 1 ने दिनाक 02.03.2002 को गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर में दर्ज करायी। वादीगण ने अपने हकीकी करीबी रिस्तेदारियों में भी काफी तलाश किया, लेकिन वादीगण के पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का कोई पता नहीं चला, तब वादीगण ने दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में गुमशुदा विज्ञापन के पृष्ठ में दिनांक 20.03.2002 को प्रकाशित कराया, लेकिन कोई जानकारी सर्वेश कुमार मिश्र की नहीं चली और न ही किसी व्यक्ति ने किसी तरह की सूचना दी। वादीगण ने अपने पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र पुत्र संतसेवक के दीर्घकालीन लापता होने के आधार पर अपने पुत्र संतसेवक के नाम कृषि काश्त व मकान पुस्तैनी के बावत विरासत का प्रार्थना पत्र तहसील स्तर पर दिया, लेकिन तहसील के कर्मचारियारें द्वारा वादीगण को यह अवगत कराया गया कि आपके पुत्र संतसेवक संर्वेश कुमार मिश्र का मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से निर्गत कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे, तभी आप वादीगण के नाम सर्वेश कुमार मिश्र पुत्र संतसेवक के नाम की सम्पत्ति की विरासत बतौर पुत्र/पत्नी सरकारी अभिलेखो में इन्द्राज हो पायेंगे। वादीगण ने अपने पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु अपनी ग्राम सभा जरीयनपुर के प्रधान तथा सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिये, लेकिन उपरोक्त सभी लोगों ने मौखिक रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दिया कि आपके पति/पिता की मृत्यु नहीं हुई है वह लापता है, इसलिये हम कर्मचारीगण लापता व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते है। आप वादीगण अपने पति/पिता लापता का मृत्यु प्रमाण पत्र सिविल न्यायालय से मृत्यु होने का आदेश उदघोषित करा लो लिहाजा वाद नालिश की आवश्यक्ता हुई। वादीगण ने विपक्षीगण को दिनांक 28.06.2022 को कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता व धारा 106 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत मियादी दो माह (60 दिन) का इस आशय का दिया कि आप विपक्षीगण नोटिसदाता वादीगण के पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने की याचना की, किंतु प्रतिवादीगण ने मृत्यु प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया। अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये उदघोषणात्मक आदेश व डिक्री इस बाबत कि

वादीगण के पति/पिता सर्वेश कुमार मिश्र का दीर्घकालीन लापता होने के आधार पर सिविल मृतक घोषित किया जाने एवं वादीगण मृतक घोषित होने पर अपने पति/पिता के विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिस होने के बाबत उदघोषणात्मक आज्ञप्ति पारित किया जाने की याचना की गयी है।

11. उल्लेखनीय है कि साक्षी PW1 श्रीमती उमा मिश्रा ने अपनी जिरह में सशपथ कथन किया है कि "मेरा नाम श्रीमती उमा मिश्रा है। मेरे पति का नाम श्री सर्वेश कुमार मिश्र है। मेरा विवाह 21 जून 1986 को हुआ था। यह मुकदमा मैंने अपने पति की गुमशुदगी की उद्घोषणा के लिए किया है। मेरेपति 19 फरवरी 2002 से गायब हैं। मेरे पति घर पर यह कहकर गये कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, किंतु नहीं आये। मैंने अपनी रिश्तेदारी में आस पड़ोस में व अपने पति के मित्रों से उनकी जानकारी ली, किंतु उनका कहीं पता नहीं चला। काफी ढूंढ़ने के बाद भी जब वह नहीं मिले, तो मैंने दिनाँक 02.03.2002 को पुलिस मे अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। मैंने अपने पति की गुमशुदगी के बावत अखबार में भी इश्तहार निकलवाया था, किंतु उसके बाद भी वह नहीं मिले। मैंने यह मुकदमा इस लिये डाला है कि बिना उनकी गुमशुदगी को उद्घोषणा हुए, न तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है और न ही उनके नाम से जो कृषि भूमि है। उसकी विरासत ही चढ़ पा रही है। यह कहना गलत है कि मैंने उनके नाम की संपत्ति को हड़पने की नियत के कारण यह मुकदमा किया है। यह कहना गलत है कि मुझे उनकी कोई जानकारी है।" किंतु साक्षी द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल नहीं की गयी है।

12. उल्लेखनीय है कि साक्षी PW2 अमित कुमार मिश्रा ने अपनी जिरह में सशपथ कथन किया है कि "मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है। मेरे पिता का नाम श्री सर्वेश कुमार मिश्रा है। मेरी जन्म तिथि 05.07.1988 है। जब मेरे पिताजी गायब हुई थे, तब मैं 14 वर्ष का था। मेरे पिता की गुमशुदगी की तारीख 19.02.2002 है। मेरे पिताजी मेरी माँ से यह बोलकर गये थे कि अभी आ रहे हैं। उस समय मैं कक्षा 04 में था। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को ढूंढ़ने के लिए जो कार्यवाहियां की हैं, उसकी मुझको जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी द्वारा ढूंढने के संबंध में कार्यवाही के बाबत जानकारी न होने का अभिवचन किया है।

13. उल्लेखनीय है कि साक्षी PW3 मयंक मिश्रा ने अपनी जिरह में सशपथ कथन किया है कि "मेरा नाम मयंक मिश्रा है। मेरे पिताजी का नाम श्री सर्वेश कुमार मिश्रा है। मेरी जन्म तिथि 16.04.1993 है। मेरे पिताजी 19 फरवरी 2002 को गायब हो गये थे। मम्मी ने बताया था और मैं भी घर पर था, जब पिताजी गायब हुए थे। उसके बाद मैंने व मेरी माँ ने पिताजी को रिश्तेदारी व आस–पड़ोस व पिताजी के मित्रों के यहाँ ढूंढ़ा, किंतु वह नहीं मिले। मेरी माँ ने पुलिस को उनकी गुमशुदगी की सूचना दी थी। वर्ष 2002 में मैं 9 वर्ष का था। यह कहना गलत है कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मैं अपनी माँ के कहने पर गवाही देने आया हूँ। यह भी कहना गलत है कि मुझे पिताजी की जानकारी हो और मैं झूठा मुकदमा करने आया हूँ।" इस प्रकार साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया है कि उसकी माँ ने पुलिस को उनकी गुमशुदगी की सूचना दी थी।

14. उल्लेखनीय है कि साक्षी PW4 विवेक मिश्रा ने अपनी जिरह में सशपथ कथन किया है कि "मेरा नाम अभिनय मिश्रा उर्फ विवेक मिश्रा है। मेरे पिता जी का नाम श्री सर्वेश कुमार मिश्रा है। मेरे पिता 19.02.2002 से लापता हैं। मेरे पिता घर से यह कहकर गये कि अभी आता हूँ। उस समय मैं 4 वर्ष का था। यह बात स्वाभाविक है कि मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरी माता श्रीमती उमा मिश्रा ने की थी। गुमशुदगी के

बावत अखबार में इश्तहार में निकलवाया गया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में कोई आवेदन किया गया है या नहीं।" इस प्रकार साक्षी द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र के संबंध में कोई आवेदन किया था अथवा नहीं, के संबंध में अनभिज्ञता दर्शायी है।

15. उल्लेखनीय है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पिता व पति को दिनाँक 29.02.2002 से लापता होने व उक्त के संबंध में दिनाँक 02.03.2002 को गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना मिर्जापुर में दर्ज कराये जाने के बाबत कथन किया है एवं वादीगण द्वारा वादीगण के पिता व पति को मृतक घोषित किये जाने के बाबत याचना की है, किंतु यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में कागज संख्या 11ग गुमशुदगी तहरीर दिनाँक 02.03.2002 की छायाप्रति, कागज संख्या 12ग गुमशुदगी का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दिनाँक 20.03.2002 के पृष्ठ सं. 6 की छायाप्रति तथा **सूची 16ग** से कागज संख्या 17ग दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत दिनाँक 11.07.2023 की मूल प्रति एवं **सूची 31ग** से कागज संख्या 32ग गुमशुदगी का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दिनाँक 20.03.2002 के पृष्ठ सं. 6 गुमशुदा सर्वेश कुमार पुत्र संतसेवक की मूलप्रति दाखिल किये गये हैं, किंतु वादीगण की ओर से न तो गुमशुदगी के बाबत की गई रिपोर्ट की प्रति दाखिल की है और न ही वादीगण के द्वारा गुमशुदगी के संबंध कथित रूप से दी गयी तहरीर की कोई प्रमाणित प्रस्तुत की है। वादी द्वारा गुमशुदगी के संबंध में दी गयी तहरीर छायाप्रति है, जोकि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

उल्लेखनीय है कि यहां पर **Section 34 in The Specific Relief Act** का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है।

Section 34 in The Specific Relief Act, 1963 में यह प्रावधानित है कि–

Discretion of court as to declaration of status or right.—

"Any person entitled to any legal character, or to any right as to any property, may institute a suit against any person denying, or interested to deny, his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief: Provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff, being able to seek further relief than a mere declaration of title, omits to do so."

16. उल्लेखनीय है कि Section 34 in The Specific Relief Act, 1963, न्यायालय को यह विवेकाधिकार देती है कि यदि वादी के विधिक अधिकार का प्रतिवादी द्वारा हनन किया गया है एवं न्यायालय उक्त विधिक अधिकार के हनन पर वादी के हक में न्यायालय सक्षम होने पर घोषणात्मक अनुतोष प्रदान कर सकती है, किंतु उक्त वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादीगण के विधिक अधिकार का हनन किया गया हो।

17. उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विवेचन विधि व्यवस्था व प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वादी अपना वाद साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। तदनुसार दावा वादी निरस्त किया जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादीगण का वाद सव्यय खारिज किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के बाद दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–23.09.2025

(कीर्ति सिंह)
अपर सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम०,
कक्ष सं०–44, शाहजहांपुर।
आई.डी. नं.–यू.पी. 2620

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक–23.09.2025

(कीर्ति सिंह)
अपर सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम०,
कक्ष सं०–44, शाहजहांपुर।
आई.डी. नं.–यू.पी. 2620